BROADCASTERS PUSH BACK AGAINST ALTD

A new regulatory debate is emerging that could reshape India's television and streaming landscape.

At the centre of the controversy is TRAI's proposal to regulate Application-Based Linear Television Distribution (ALTD) services and FAST channels. India's broadcasters are mounting a strong challenge against proposals that could bring internet-delivered television services under a regulatory framework similar to cable and DTH platforms.

The industry argues that ALTD and FAST services represent the next phase of television distribution, enabling broadcasters to reach consumers directly through connected devices without relying on traditional intermediaries. According to broadcasters, imposing legacy broadcasting regulations on digital platforms risks undermining innovation and increasing costs for both operators and viewers.

एएलटीडी का विरोध कर रहे हैं प्रसारक

एक नयी रेगुलेटरी बहस शुरू हो रही है जो भारत के टेलीविजन और स्ट्रीमिंग के माहौल को बदल सकती है।

इस विवाद के केंद्र में ट्राई का वह प्रस्ताव है जिसमें आवेदन आधारित लीनियर टेलीविजन वितरण (एएलटीडी) सेवाओं और फास्ट चैनलों को रेगुलेट करने की बात कही गयी है। भारत के प्रसारक उन प्रस्तावों का कड़ा विरोध कर रहे हैं जिसके तहत इंटरनेट से चलने वाली टेलीविजन सेवाओं को केबल और डीटीएच प्लेटफॉर्म की तरह ही रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के दायरे में लाया जा सकता है।

उद्योग का तर्क है कि एएलटीडी और फास्ट सेवा टेलीविजन वितरण का अगला चरण है। ये सेवा प्रसारकों को पारंपरिक बिचौलियों पर निर्भर हुए बिना, कनेक्टेट उपकरण के जरिए सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचने में मदद करती है। प्रसारकों के अनुसार डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पुराने प्रसारण नियम लागू करने से इनोवेशन पर बुरा असर पर सकता है और ऑपरेटर्स व दर्शकों दोनों के लिए लागत बढ़ सकती है।

A key concern is the possibility of creating a new intermediary layer between content creators and consumers. Broadcasters contend that streaming applications were developed specifically to eliminate distribution bottlenecks and provide direct consumer relationships. Bringing these platforms under traditional tariff and licensing frameworks could reverse that progress.

The debate has exposed a widening divide within the industry. While major broadcasters such as JioStar and Culver Max have opposed extensive regulation, Zee Entertainment has advocated a more balanced approach, arguing that internet-based television services increasingly resemble traditional broadcasting and therefore require regulatory parity.

On the opposite side, the All India Digital Cable Federation has called for comprehensive oversight, claiming that digital platforms currently enjoy significant regulatory advantages over licensed cable and satellite operators.

The outcome of the consultation will have far-reaching implications. It could determine how television channels are distributed, monetised and regulated in the connected-TV era. It may also influence future investment in FAST channels, smart TV ecosystems and direct-to-consumer streaming services.

As television consumption increasingly shifts online, policymakers face a critical challenge: fostering innovation while maintaining a level competitive landscape. The decisions taken today could define the future structure of India's broadcast and streaming economy for years to come.■

एक मुख्य चिंता यह है कि कंटेंट बनाने वालों और उपभोक्ताओं के बीच एक मध्यस्थ परत बन सकती है। प्रसारकों का कहना है कि स्ट्रीमिंग ऐप्स खास तौर पर इसलिए बनाये गये थे ताकि वितरण की रूकावटों को खत्म किया जा सके और उपभोक्ताओं के साथ सीधा संबंध बनाया जा सके। इन प्लेटफॉर्म को पारंपरिक टैरिफ और लाइसेंसिंग नियमों के दायरे में लाने से यह प्रगति उलट सकती है।

इस बहस ने उद्योग के अंदर बढ़ती खाई को उजागर किया है। जहां जियोस्टार और कल्वर मैक्स जैसे बड़े प्रसारकों ने कड़े रेगुलेशन का विरोध किया है, वहीं जी एंटरटेनमेंट ने ज्यादा संतुलित नजरिए की वकालत की। उनका तर्क है कि इंटरनेट आधारित टेलीविजन सेवायें अब पारंपरिक प्रसारण सेवाओं की तरह होती जा रही है, इसलिए उनके लिए भी रेगुलेशन के नियम एक जैसे होने चाहिए।

दूसरी ओर 'ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन' ने पूरी निगरानी की मांग की है। उनका कहना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को अभी लाइसेंस वाले केबल और सैटेलाइट ऑपरेटर्स के मुकाबले रेगुलेशन के मामले में काफी फायदे मिल रहे हैं।

इस बातचीत के नतीजे दूरगामी असर डालेंगे। इससे यह तय हो सकता है कि कनेक्टेड टीवी के दौर में टीवी चैनलों का वितरण, उनसे कमाई और उनका रेगुलेशन कैसे होगा। हालांकि इसका फॉर्स्ट चैनलों, स्मार्ट टीवी इकोसिस्टम और सीधे उपभोक्ता तक स्ट्रीमिंग सेवा पहुंचाने वाली सेवाओं में भविष्य के निवेश पर भी पड़ सकता है।

जैसे–जैसे टेलीविजन देखने का चलन ऑनलाइन होता जा रहा है। नीति निर्माताओं के सामने एक बड़ी चुनौती हैः इनोवेशन को बढ़ावा देना और साथ ही सबसे के लिए बराबरी का प्रतिस्पर्धी माहौल बनाये रखना। आज लिए गये फैसले आने वाले कई सालों तक भारत की प्रसारण और स्ट्रीमिंग अर्थव्यवस्था के भविष्य के ढ़ांचे को तय कर सकते हैं।■